बुधवार
Wednesday

8 न्यायपालिका अपने देश के संविधान की संरक्षक होती है। संघात्मक राज्यों में संविधान की सर्वोच्चता होती है और उसकी रक्षा की जिम्मेदारी वहाँ की न्यायपालिका के ऊपर रहती है। न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह संघ व्यवस्थापिका द्वारा पारित

गुरूवार
Thursday

9 किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर दे। इसलिये न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है।

(6) संघ और राज्य के विवादों में निर्णय देना – चूँकि संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की संरक्षक है,

न्यायपालिका के कार्य -II



(4) नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना -

न्यायपालिका का एक अन्य कार्य नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। जब कभी राज्य संविधान द्वारा दिये गये नागरिकों के मूल अधिकारों पर आघात पहुँचाता है, तब



नागरिक अपने अधिकार की रक्षा के लिये न्यायालय की शरण लेते हैं। न्यायालय विभिन्न प्रकार के लेख जारी कर नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

(5) संविधान की रक्षा करना -

इसलिये संघ और राज्य सरकारों में जब संघर्ष घटता है, तब न्यायालय उसमें अपना निर्णय देता है। इसलिये, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिये एक निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र न्यायपालिका की आवश्यकता है। न्यायपालिका संघ एवं राज्यों के हितों की रक्षा करती है तथा



दोनों को अपनी-2 सीमा का अतिक्रमण नहीं करने के लिये बाध्य करती है।